राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1430/2014/जैसलमेर
मैसर्स बीरबल राम एण्ड कम्पनी
जैसलमेर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
जैसलमेर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री पी.एम.चौपडा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 28.09.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से अपीलीय अधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर,जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 236/बीएमआर में पारित आदेश दिनांक 26.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवसायी के वर्ष 98–99 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.02.2001 को पारित किया गया,जिसमें आदेश पारित करने की दिनांक तक रू. 2090281/–की ई.सी. प्राप्त नहीं की गई इस कारण इसे नॉन ई.सी. पेटे प्राप्तियॉ खाते में शामिल किया जाकर इसमें प्रयुक्त मैटेरियल टैक्स पेड खरीद बिलों के अभाव में URD मानकर कर लगाये जाने से रह गया, जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकार करते हुए राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 30 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.06.2003 को पारित करते हुए कर रू. 84,280/– एवं ब्याज रू. 54,403/–आरोपित करते हुए कुल रू. 1,38,683/–की मांग सृजित की। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अपील को देरी से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में समुचित एवं ठोस साक्ष्य पेश नही करने के कारण प्रस्तुत अपील आवेदन को अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2014 पारित किया। अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.6.2014 से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उसके विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इस तथ्य की ओर से ध्यान नही दिया कि वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–जैसलमेर(जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह रिपोर्ट दी गयी है कि अपीलार्थी व्यवहारी को दिनांक 12.12.2007 को कर निर्धारण आदेश की प्रतिलिपि रजिस्टर्ड डाक से भेजी गयी थी,जो

वापिस कार्यालय(acknowledgment) में प्राप्त नहीं हुआ इसलिए उसे तामील होना लिया गया। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी की उक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण आदेश उसे प्राप्त नही हुआ। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी की यह परिकल्पना कि रिकवरी का नोटिस उसे प्राप्त हो गया,यह सही नहीं है। उनका कथन है कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 46, 47/2013/उदयपुर मैसर्स बिनानी सीमेन्ट सप्लायर्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–बी, उदयपुर निर्णय दिनांक 20.01.2014 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि नोटिस तामील का सबूत होना आवश्यक है। उनका कथन है कि विभाग के पास ऐसा कोई दस्तावेजीय साक्ष्य नहीं है,जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आदेश उसे तामील हुआ है। उनका कथन है कि अपील आवेदन पत्र में आदेश तामीली दिनांक 29.01.23014 उल्लेख किया गया है तथा एवं वैट–28 में देरी माफी बाबत आवेदन पत्र प्रस्तत कर प्रमाणित प्रतिलिपि में उल्लेखित से 131 दिवस देरी से अपील प्रस्तुत करने के बाबत कारणों का उल्लेख किया गया है,जिनको अस्वीकार कर अपील आवेदन पत्र को खारिज करना उचित नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सन्दर्भित कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.12.2007 को जरिए रजिस्टर्ड एडी डाक से भेजा गया,किसे तामील हुआ ज्ञात नहीं है एवं न ही पावती प्राप्त एवं ना ही मूल रजिस्टर्ड पत्र लौटकर प्राप्त हुआ। उनका कथन है कि कर निर्धारण वर्ष 1998–99 की अवधि का आदेश दिनांक 15.12.2003 को जरिए रजिस्टर्ड एडी डाक क्रमांक 5582 डाक से भेजा गया,जो डाक प्रेषण के एक माह के भीतर वापिस प्राप्त नहीं हुआ,जिससे यह आवधारण बनती है कि आदेश तामील हो चुका है। उनका कथन है कि जिस पते पर रजिस्टर्ड डाक क्रमांक 5582 भेजा गया था उसी पते पर कर निर्धारण की वूसली सम्मन रजिस्टर्ड एडी डाक से भेजा गया,जो दिनांक 01.03.2013 को अपीलार्थी स्वयं को प्राप्त हो चुका है,इसलिए पूर्व में रजिस्टर्ड डाक से भेजा विवेचित आदेश उसे तामील नहीं हुआ, मानने योग्य नहीं है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित सभी तथ्यों को प्रत्येक दृष्टिकोण से देखने के पश्चात अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को अस्वीकार किया है,जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, अपीलीय अधिकारी के आदेश एवं माननीय कर बोर्ड के उपरोक्त उद्धरित निर्णय का ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन है कि उसे कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.12.07

प्राप्त नहीं हुआ और बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये मांग सृजित किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि रजिस्टर्ड एडी डाक से कर निर्धारण आदेश अपीलार्थी के पते भेजा गया,जो लौटकर प्राप्त हुआ और ना ही पावती प्राप्त हुई है,इसलिए आदेश अपीलार्थी को प्राप्त होना माना जायेगा। इस बिन्दु के निराकरण हेतु पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलार्थी को कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.12.2007 प्राप्त हो गया है। बहस के दौरान भी विभागीय प्रतिनिधि कर निर्धारण आदेश अपीलार्थी को प्राप्त हो गया,के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। उपरोक्त परिस्थिति में अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः आदेश पारित करें।

फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर अपील स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य